अनुदान संख्या 24 – पेयजल और स्वच्छता मंत्रालय
GRANT No. 24 - MINISTRY OF DRINKING WATER AND SANITATION

			कुल अनुदान Total grant	वास्तविक व्यय Actual expenditure	बचत– Saving -
					(हजार रुपयों में) (In thousands of rupees)
राजस्वः	**Revenue:**				
स्वीकृत–	Voted-				
मूल	Original	32333,06,00	36333,46,00	27338,76,89	-8994,69,11
पूरक	Supplementary	4000,40,00			
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि	Amount surrendered during the year				16,60,54

टीका और टिप्पणियां

1. अनुदान में, कुल बचतें (₹899469.11 लाख) दिसंबर, 2017 और मार्च, 2018 में प्राप्त किए गए ₹400040.00 लाख के पूरक अनुदानों से अधिक हो गईं जो कुल स्वीकृत प्रावधान का 25 प्रतिशत थीं।

बचतें/अधिक व्यय निम्नलिखित शीर्षों के अंतर्गत हुईं/हुआः–

Notes and comments

1. In the grant, the overall savings (₹899469.11 lakhs) exceeded the supplementary grants of ₹400040.00 lakhs obtained in December, 2017 and March, 2018 and constituted 25 percent of the total sanctioned provision.

Savings/excess occurred under the following major heads:-

(लाख रुपयों में)
(In lakhs of rupees)

शीर्ष	Head				
मुख्य शीर्ष "3451"	Major Head "3451"				
सचिवालय – आर्थिक सेवाएं	Secretariat - Economic Services				
मू.	O.	1252.00			
पू.	S.	39.00	1259.58	1259.27	-0.31
पु.	R.	-31.42			
मुख्य शीर्ष "2215"	Major Head "2215"				
जल पूर्ति तथा सफाई	Water Supply and Sanitation				
मू.	O.	1288327.00	1275402.22	377593.96	-897808.26
पु.	R.	-12924.78			

शीर्ष	Head		कुल अनुदान Total grant	वास्तविक व्यय Actual expenditure	बचत– Saving -
					(लाख रुपयों में) (In lakhs of rupees)
मुख्य शीर्ष "2552" पूर्वोत्तर क्षेत्र	Major Head "2552" North Eastern Areas				
मू.	O.	196983.00			
पू.	S.	44900.00	..	..	..
पु.	R.	-241883.00			
मुख्य शीर्ष "3601" राज्य सरकारों को सहायता अनुदान	Major Head "3601" Grants-in-aid to State Governments				
मू.	O.	1745594.00			
पू.	S.	355101.00	2349998.66	2349998.66	..
पु.	R.	249303.66			
मुख्य शीर्ष "3602" विधानमंडल वाले संघ राज्य क्षेत्र की सरकारों को सहायता अनुदान	Major Head "3602" Grants-in-aid to Union Territory Governments with Legislature				
मू.	O.	1150.00			
			5025.00	5025.00	..
पु.	R.	3875.00			

(I) ₹241933.00 लाख का प्रावधान (₹44900.00 लाख के पूरक अनुदान सहित) सात शीर्षों के अंतर्गत पूर्णतया अप्रयुक्त रहा, इनमें से ₹241883.00 लाख निम्नलिखित मुख्य शीर्षों के अंतर्गत मुख्य शीर्ष "2552" के अंतर्गत लेखाबद्ध किए गए:–

(I) Provision of ₹241933.00 lakhs (including supplementary grant of ₹44900.00 lakhs) remained wholly unutilised under seven heads; of these ₹241883.00 lakhs accounted for under Major Head "2552" - under the following heads:-

(का) "जल पूर्ति – ग्रामीण जलपूर्ति कार्यक्रम – राष्ट्रीय ग्रामीण पेयजल कार्यक्रम" – ₹57369.74 लाख (₹10000.00 लाख के पूरक अनुदान सहित);

(A) "Water Supply - Rural Water Supply Programme - National Rural Drinking Water Programme" - ₹57369.74 lakhs (including supplementary grant of ₹10000.00 lakhs);

(खा) "मलजल और स्वच्छता – स्वच्छता सेवाएं – स्वच्छ भारत अभियान (ग्रामीण)" – ₹174383.00 लाख (₹34900.00 लाख के पूरक अनुदान सहित);

(गा) "अनुसूचित जाति विशेष संघटक योजना – जलपूर्ति – ग्रामीण जलपूर्ति कार्यक्रम" – ₹3893.88 लाख; और

(घा) "जनजातीय क्षेत्र उप योजना – जलपूर्ति – ग्रामीण जल पूर्ति कार्यक्रम" – ₹6236.38 लाख।

उपर्युक्त चार शीर्षों के अंतर्गत प्रावधान पूर्वोत्तर क्षेत्र और सिक्किम के लाभ से संबंधित परियोजनाओं/स्कीमों पर उपयोग के लिए आंशिक निधियों/निधियों का पुनर्विनियोग कार्यात्मक शीर्षों को किए जाने और शेष राशि अभ्यर्पित किए जाने के कारण अप्रयुक्त रहा।

(II) मुख्य शीर्ष "3451" – "सचिवालय – पेयजल और स्वच्छता" – ₹1252.00 लाख के मूल प्रावधान को ₹39.00 लाख का पूरक अनुदान प्राप्त करके बढ़ाकर ₹1291.00 लाख कर दिया गया, तथापि, जो ₹31.73 लाख की सीमा तक रिक्त पदों को भरे न जाने, कम दौरे किए जाने एंव किफायत के उपाय किए जाने के कारण अप्रयुक्त रहा।

(III) मुख्य शीर्ष "2215" मुख्य शीर्ष के अंतर्गत बचतें निम्नलिखित शीर्षों के अंतर्गत हुईं :–

(का) "जल पूर्ति – ग्रामीण जल पूर्ति कार्यक्रम – राष्ट्रीय ग्रामीण पेयजल कार्यक्रम" – ₹2180.65 लाख की बचत (₹7000.00 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) कार्यान्वयन एजेंसियों से व्यवहार्य प्रस्तावों की प्राप्ति न होने एवं किफायत के उपाय न किए जाने के कारण हुई।

(खा) "मलजल और स्वच्छता" –

(क) "मलजल सेवाएं – स्वच्छ भारत अभियान (ग्रामीण)" – ₹16325.39 लाख की बचत

(B) "Sewerage and Sanitation - Sanitation Services - Swachh Bharat Abhiyan (Gramin)" - ₹174383.00 lakhs (including supplementary grant of ₹34900.00 lakhs);

(C) "Special Component Plan for Scheduled Castes - Water Supply - Rural Water Supply Programme" - ₹3893.88 lakhs; and

(D) "Tribal Area Sub-Plan - Water Supply - Rural Water Supply Programme" - ₹6236.38 lakhs.

Provisions under the above four heads remained unutilized due to re-appropriation of part funds/funds to functional heads for utilization on projects/schemes for the benefit of North Eastern Region and Sikkim and surrender of the balance amount.

(II) Under Major Head "3451" - "Secretariat - Drinking Water and Sanitation" - the original provision of ₹1252.00 lakhs was augmented to ₹1291.00 lakhs by obtaining supplementary grant of ₹39.00 lakhs which, however, remained unutilised to the extent of ₹31.73 lakhs - due to non-filling up of vacant posts, less tours undertaken and economy measures.

(III) Under Major Head "2215" - savings occurred under the following heads:-

(A) "Water Supply - Rural Water Supply Programme - National Rural Drinking Water Programme" - saving of ₹2180.65 lakhs (against the sanctioned provision of ₹7000.00 lakhs) was due to non-receipt of viable proposals from the implementing agencies and economy measures.

(B) "Sewerage and Sanitation" -

(a) "Sanitation Services - Swachh Bharat Abhiyan (Gramin)" - saving of

(₹49100.00 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) वार्षिक ग्रामीण स्वच्छता सर्वे की रिपोर्ट की प्राप्ति न होने, कार्यान्वयन एजेंसियों से व्यवहार्य प्रस्तावों की प्राप्ति न होने और किफायत के उपाय किए जाने के कारण हुई।

₹16325.39 lakhs (against the sanctioned provision of ₹49100.00 lakhs) was due to non-receipt of report of Annual Rural Sanitation Survey, non-receipt of viable proposals from the implementing agencies and economy measures.

(ख) "आरक्षित निधि को अंतरण / जमा खाता – राष्ट्रीय स्वच्छता कोष को अंतरण – ₹892227.00 लाख की बचत (₹1232227.00 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) अगस्त, 2017 से स्वच्छता उपकर समाप्त किए जाने के कारण हुई।

(b) "Transfer to Reserve Fund/Deposit Account - Transfer to Rashtriya Swachhata Kosh (RSK)" - saving of ₹892227.00 lakhs (against the sanctioned provision of ₹1232227.00 lakhs) was due to abolition of Swachhata Cess with effect from August, 2017.

2. (I) उपर्युक्त बचतें पुनर्विनियोग द्वारा प्रावधान को बढ़ाने के लिए आंशिक रूप से (₹180779.59 लाख) प्रयुक्त हो गईं जैसा कि निम्नलिखित मुख्य शीर्ष "3601" – "केन्द्रीय रूप से प्रायोजित स्कीम – केन्द्रीय सहायता / शेयर – स्वच्छ भारत अभियान (ग्रामीण)" – ₹1.00 लाख का सांकेतिक पूरक अनुदान प्राप्त करते समय संसद को पहले ही सूचित कर दिया गया था।

2. (I) The above savings were partly (₹180779.59 lakhs) utilised for augmenting the provision by re-appropriation as already reported to Parliament while obtaining token supplementary grant of ₹1.00 lakh under Major Head "3601" - "Centrally Sponsored Schemes - Central Assistance/Share - Swachh Bharat Abhiyan (Gramin)".

(II) बचतें निम्नलिखित मुख्य शीर्षों के अंतर्गत अधिक व्यय द्वारा भी प्रतिसंतुलित हो गईं :–

(II) Savings were also offset by excess under the following major heads:-

(का) मुख्य शीर्ष "3601" – "केन्द्रीय रूप से प्रायोजित स्कीम" –

(A) Major Head "3601" - "Centrally Sponsored Schemes" -

(क) "केन्द्रीय सहायता / शेयर – राष्ट्रीय ग्रामीण पेय जल कार्यक्रम" – ₹58402.69 लाख का अधिक व्यय (₹58000.00 लाख के पूरक अनुदान सहित ₹414996.26 लाख के कुल स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) हुआ।

(a) "Central Assistance/Share - National Rural Drinking Water Programme" - excess of ₹58402.69 lakhs (against the total sanctioned provision of ₹414996.26 lakhs including supplementary grant of ₹58000.00 lakhs);

(ख) "अनुसूचित जाति विशेष संघटक योजना – जल पूर्ति – ग्रामीण जल पूर्ति कार्यक्रम" – ₹3891.40 लाख का अधिक व्यय (₹22000.00 लाख के पूरक अनुदान सहित ₹151195.12 लाख के कुल स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) हुआ; और

(b) "Special Component Plan for Scheduled Castes - Water Supply - Rural Water Supply Programme" - excess of ₹3891.40 lakhs (against the total sanctioned provision of ₹151195.12 lakhs including supplementary grant of ₹22000.00 lakhs); and

(ग) "जनजातीय क्षेत्र उप योजना – जल पूर्ति – ग्रामीण जल पूर्ति कार्यक्रम" – ₹6231.98 लाख का अधिक व्यय (₹10000.00 लाख के पूरक अनुदान सहित ₹64258.62 लाख के कुल स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) हुआ।

उपर्युक्त तीन शीर्षों के अंतर्गत अधिक व्यय पूर्वोत्तर क्षेत्र और सिक्किम के लाभ से संबंधित परियोजनाओं/स्कीमों पर उपयोग के लिए निधियों का पुनर्विनियोग मुख्य शीर्ष "2552" से कार्यात्मक शीर्षों को किए जाने और राज्य सरकारों से अधिक मांग प्राप्त होने के कारण हुआ।

(खा) मुख्य शीर्ष "3602" – "केन्द्रीय रूप से प्रायोजित स्कीमें – केन्द्रीय सहायता/शेयर – स्वच्छ भारत अभियान (ग्रामीण)" – ₹3925.00 लाख का अधिक व्यय (₹1100.00 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) विधानमंडल वाली संघ राज्य क्षेत्र सरकारों से अधिक प्रस्तावों की प्राप्ति होने के कारण हुआ।

3. राष्ट्रीय स्वच्छता कोष निधिः–

इस निधि की स्थापना राष्ट्रीय स्वच्छता कोष के प्रयोजन के लिए अधिसूचना द्वारा की गई थी जिसका उपयोग उस रूप में और ऐसी स्थितियों एवं सीमाओं में किया जाएगा जो केंद्रीय सरकार द्वारा निर्धारित की जाएंगी। इस निधि में धनराशि राष्ट्रीय स्वच्छता कोष के माध्यम से जमा की जाती है और उसे स्वच्छ भारत मिशन (ग्रामीण) और स्वच्छ भारत मिशन (शहरी) पर खर्च किया जाएगा जिसके लिए पहले इस बारे में विधिक रूप से संसद द्वारा विधिवत विनियोग किया जाएगा।

वर्ष 2017–18 के लिए निधि का लेखा इस प्रकार था:–

(c) "Tribal Area Sub-Plan - Water Supply - Rural Water Supply Programme" - excess of ₹6231.98 lakhs (against the total sanctioned provision of ₹64258.62 lakhs including supplementary grant of ₹10000.00 lakhs).

Excess under the above three heads was due to re-appropriation of funds from Major Head "2552" to functional heads for utilization on projects/schemes for the benefit of North Eastern Region and Sikkim and receipt of more demand from the State Governments.

(B) Major Head "3602" - "Centrally Sponsored Schemes - Central Assistance/Share - Swachh Bharat Abhiyan (Gramin)" - excess of ₹3925.00 lakhs (against the sanctioned provision of ₹1100.00 lakhs) was due to receipt of more proposals from the Union Territory Governments with legislature.

3. Rashtriya Swachhta Kosh:-

The Fund was established by notification for the purpose of Rashtriya Swachhta Kosh to be utilized in such manner and subject to such conditions and limitations as may be prescribed by the Central Government. The Fund is credited by way of the Rashtriya Swachhta Kosh shall be spent on Swachh Bharat Mission (Gramin) and Swachh Bharat Mission (Urban) after due appropriation made by Parliament by law in this behalf.

The Account of the Fund for 2017-18 was as follows:-

(हजार रुपयों में)
(In thousands of rupees)

अथशेष	Opening Balance	:	-159,38,05
प्राप्तियां	Receipts	:	3400,00,00
अदायगियां	Payments	:	3400,00,00
अंतशेष	Closing Balance	:	-159,38,05